

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/4) श्री ताजु भील बनाम श्री विजयसिंह भील व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2023	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <p>1. श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित - वकील अपीलार्थी 2. श्री ईकबाल खान - वकील प्रत्यर्थी-1 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2</p> <p>अनवान</p> <p>1. श्री ताजु पिता श्री थावरा भील, गांव उदयगढ़ निष्ठावट, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा। -अपीलार्थी</p> <p>बनाम</p> <p>1. श्री विजयसिंह पिता श्री मडिया भील, गांव उदयगढ़ निष्ठावट, पटवार हल्का बड़वास, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा। 2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा। -प्रत्यर्थी</p> <p>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 03/2022 निर्णय दिनांक 22.11.2022 बउनवानी श्री ताजु बनाम श्री विजयसिंह व अन्य</p> <p>निर्णय</p> <p>दिनांक 13.04.2023</p> <p>उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 03/2022 निर्णय दिनांक 22.11.2022 बउनवानी श्री ताजु बनाम श्री विजयसिंह व अन्य के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री विजयसिंह पिता मडिया भील निवासी ग्राम निष्ठावट, बड़वास छोटी, तहसील कुशलगढ़ को ग्राम उदयगढ़ निष्ठावट पटवार हल्का बड़वास छोटी, तहसील कुशलगढ़ के साबिक सर्वे नंबर 2 रकबा 3 एकड भूमि का दिनांक 30.08.1972 को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन से व्यथित होकर अपीलार्थी श्री ताजु भील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम-1970 के तहत पेश कर उक्त आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 22.11.2022 पारित किया। <p>उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज की गई। रेस्पोजेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।</p> <p>दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी द्वारा अपने परिवार के सदस्य श्री वज्जा तत्कालीन सरपंच के पद पर रहते हुए पद का दुरपयोग करते हुए अपने पक्ष में आवंटन करा लिया, जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का करीब 100 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, उनके मकानात बने हुए हैं, अपीलार्थी अपने परिवार के साथ स्थाई रूप से निवास करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में मौके की जांच रिपोर्ट एवं वस्तुस्थिति के बिना केवल राजस्व अभिलेख में</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/4) श्री ताजु भील बनाम श्री विजयसिंह भील व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>इन्द्राज के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 को खातेदार कृषक मानकर अवैधानिक निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी-2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत जवाब में उक्त भूमि में से 0.52 एकड़ पर अपीलार्थी के कब्जा होने के कथन प्रस्तुत किये हैं जो अपीलार्थी के आधिपत्य होने की पुष्टि करता है। अपीलार्थी का उपरोक्त सर्वे नम्बर 2 से लगता हुआ सर्वे नम्बर 3 व 4 कृषि भूमि अपीलार्थी एवं उसके परिवारों के सदस्य के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया परन्तु प्रत्यर्थी-1 के द्वारा बिना किसी आवंटन कार्यवाही एवं प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध अपने परिवारी के सदस्य सरपंच पद पर रहते हुए आवंटन अपने नाम करवाया। नियम, 1970 के तहत उस व्यक्ति को आवंटन किया जाता है जो कि भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता हो, परन्तु प्रत्यर्थी-1 भूमिहीन कृषक नहीं था, उसके पास पूर्व से कृषि भूमि थी। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की जाने वाली भूमि सिंचित व असिंचित होने के संबंध में कोई सूची तैयार नहीं की गई। पात्रता रखने वाले व्यक्तियों से आवंटन से पूर्व आवेदन प्राप्त नहीं किये गये। उदघोषणा जारी नहीं की गई। आवंटन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा आवंटन से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों हेतु आवेदन किया गया परन्तु सिर्फ आवंटन की सूची की प्रमाणित प्रति दी गई, अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां नहीं दी गई, जो यह साबित करता है कि आवंटन नियमावली की पालना नहीं की गई। आवंटन से पूर्व पात्रता की जांच नहीं की गई। आवंटन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया, न ही समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उक्त आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई, न ही आवंटन नियमों की पालना की फिर भी प्रत्यर्थी-1 को नामान्तरकरण संख्या 70 से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 22.11.2022 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया, जिसकी प्रति दिनांक 05.12.2022 को प्राप्त हुई, परन्तु अपीलार्थी के बीमार होने के कारण व सुदूर गांव में रहने से अभिभाषक से समय पर सम्पर्क नहीं होने से अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई, देरी को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-1 के किये गये आवंटन को निरस्त कर एवं आवंटन उपरान्त किये राजस्व इन्द्राज को निरस्त करने का निवेदन किया।</p> <p>उक्त बहस में खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है, सभी तथ्यों की पूर्णतया जांच उपरान्त निर्णय पारित किया गया। प्रत्यर्थी-1 द्वारा उक्त आराजी पर आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त आवंटन निरस्ती की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र आवंटन के 50 वर्षों बाद प्रस्तुत किया गया और आवंटन के 50 वर्षों उपरान्त आवंटन निरस्त किया जाना कतई उचित नहीं है। आवंटन के उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा पिछले 50 वर्षों में कोई उजर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन उपरान्त प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार कब्जा सिपुर्द कर दिया जिसके उपरान्त वह काबिज चला आ रहा है। ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावे। प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है, जो मयाद के विन्दु पर भी खारिज योग्य है।</p> <p>प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>आलोच्य अपील मयाद से बाधित पेश की गई है तथा अपील में कारित विलम्ब को</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/4) श्री ताजु भील बनाम श्री विजयसिंह भील व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>क्षमा किए जाने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष को सुना। अपील विलम्ब से पेश किए जाने के क्रम में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत पेश प्रार्थना पत्र में जिन कथनों का समावेश किया है, वह संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। तदनुसार अंकित किए गए कथन स्वीकार किए जाने योग्य पाते हैं। सारांशतः अपीलार्थीगण द्वारा पेश मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अंदर मयाद शुमार किया जाता है।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सर्वसम्मति उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 30.08.1972 से आवंटित की गयी। प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत अपीलार्थी की ओर से अति.जिला कलक्टर बांसवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए गए हैं, जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता हो कि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाशत उपलब्ध हो। बिना कब्जे के अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया आलोच्य प्रार्थना पत्र बलहीन होना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने आलोच्य आवंटन को मात्र कब्जे के बिन्दु के आधार पर निरस्त कराने की प्रार्थना की है। जबकि अविधिक आवंटन जैसे कि तथ्यों को छिपाना, भूमिहीन का तथ्य व धोखे से आवंटन करवाये जाने बाबत तथ्यों का समावेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी पर कब्जे के तौर पर किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलार्थी ने पेश नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में आवंटनी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 एवं आवंटन आदेश दिनांक 30.08.1972 को यथावत रखा जाता है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p style="text-align: center;">(अंजलि राजोरिया, I.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	